



पंचदश बिहार विधान सभा

षोडश सत्र

ध्यानाकर्षण सूचना

निम्नलिखित ध्यानाकर्षण सूचनायें बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-104(3) के अन्तर्गत दिनांक-08.04.2015 के लिए अध्यक्ष महोदय द्वारा स्वीकृत की गयी हैं।

क्र० सं०	सदस्य का नाम	विषय	विभाग
1	2	3	4

- | | | | |
|----|---|--|------|
| 1. | श्री गिरिधारी यादव,
सं०वि०स०
श्री प्रमोद कुमार सिंह,
सं०वि०स०
श्री जनार्दन मांझी,
सं०वि०स० | "जमुई जिला में जल छाजन योजना (IWMP) के तहत विभिन्न कार्यों की स्वीकृति प्रदान की गयी है परंतु प्राक्कलन की विशिष्टियों के विपरीत कागजी खानापूति कर राशि की बंदरबांट कर ली जा रही है। प्राक्कलन में मैनुअल काम कराने का प्रावधान है परंतु मशीन से काम कराकर भुगतान हो रहा है। जल छाजन हेतु जागरूकता अभियान के नाम पर खानापूति की जा रही है और बिना प्रचार-प्रसार किये राशि की निकासी घड़ल्ले से हो रही है। इतना ही नहीं, बिना तकनीकी विशेषज्ञ के डी०पी०आर० बनाया जा रहा है तथा बिना रिसोर्स पर्सन के ट्रेनिंग करवाया जा रहा है। इस तरह से जमुई जिला में जल छाजन के नाम पर कोई भी काम सही ढंग से नहीं हो रहा है।

अतः जमुई जिला में जल छाजन योजना (IWMP) में हो रही अनियमितता की जांच कराकर कार्रवाई किये जाने हेतु हम सरकार का ध्यानाकृष्ट करते हैं।" | कृषि |
|----|---|--|------|

क्र० सं०	सदस्य का नाम	विषय	विभाग
1	2	3	4

2. डॉ० अच्युतानन्द, स०वि०स०

"वैशाली जिलान्तर्गत महनार अनुमंडल के महनार, देसरी, सहदेई बुजुर्ग प्रखंडों में उपभोक्ताओं से बिजली कनेक्शन दिए जाने के नाम पर नाजायज राशि वसूली जा रही है। उपभोक्ताओं द्वारा पैसा जमा करने के बाद भी एक साल से मीटर नहीं लगाया गया है। मीटर हेतु जो उपभोक्ता पैसा जमा किए हैं, उन पर बिजली चोरी का केस दर्ज कर उन्हें तंग किया जा रहा है। बिजली विभाग के पदाधिकारी उपभोक्ताओं के शिकायतों का निपटारा नहीं कर रहे हैं जिससे क्षेत्र के नागरिकों में काफी असंतोष है।

अतः महनार अनुमंडल के बिजली उपभोक्ताओं के समस्याओं का निराकरण हेतु मैं सरकार का ध्यान आकृष्ट करता हूँ।"

उर्जा

हरeram मुखिया

प्रभारी सचिव,

बिहार विधान सभा, पटना।

ज्ञाप संख्या-ध्या०प्र०-18/15-

703

/ वि०स०, पटना, दिनांक-07 अप्रैल, 2015 ई०।

प्रति :- बिहार विधान सभा के सदस्यगण / मुख्य मंत्री / मंत्रिगण / मुख्य सचिव, बिहार एवं राज्यपाल के प्रधान सचिव / लोकायुक्त के आप्त सचिव / कार्यकारी सचिव, बिहार विधान परिषद् / महाधिवक्ता, बिहार, पटना / संसदीय कार्य विभाग / कृषि विभाग तथा उर्जा विभाग के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



(ध्रुवण कुमार झा)

उप सचिव,

बिहार विधान सभा, पटना।

ज्ञाप संख्या-ध्या०प्र०-18/15-

703

/ वि०स०, पटना, दिनांक-07 अप्रैल, 2015 ई०।

प्रति :- उप सचिव, अध्यक्षीय कार्यालय / अपर आप्त सचिव, उपाध्यक्षीय कार्यालय / अवर सचिव, सचिवीय कार्यालय को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय उपाध्यक्ष महोदय एवं प्रभारी सचिव, बिहार विधान सभा के सूचनार्थ प्रेषित।



(ध्रुवण कुमार झा)

उप सचिव,

बिहार विधान सभा, पटना।

